

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- F.6(35)UDH/CMIS/CM Dir./2019

जयपुर, दिनांक:- 23.05.2025

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/
बीकानेर/भरतपुर।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

मुख्य नगर नियोजक,
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/चित्तौड़गढ़/आबू/
पाली/जैसलमेर/बाडमेर/सीकर/सवाईमाधोपुर।
अलवर।

महाप्रबंधक,
जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन,
जयपुर।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देश की क्रियान्विति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक **22.04.2025** को नवीन कॉ-आपरेटिव कोड 2025 के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निम्न निर्देश को क्रियान्विति हेतु सीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

“**CMD6419-** अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के Logo का समस्त राजकीय पत्राचारों में उपयोग किया जाए। ”

मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये उक्त निर्देश की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित करने हेतु समूचित कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार गुप्ता)
शासन उप सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
2. उप शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नविवि।
4. मुख्य अभियंता, नविवि।
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि।
7. सहायक निदेशक, नविवि
8. सहायक लेखाधिकारी, नविवि।
9. सहायक शासन सचिव/अनुभागाधिकारी, नविवि।
10. प्रौग्रामर, नविवि।

शासन उप सचिव-द्वितीय